



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**20.07.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने राजस्थान में शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 19.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजू राम इरम को गिरफ्तार किया है। राजू राम इरम को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 03 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने राजू राम इरम और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.स, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज/दायर की गई एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजू राम इरम को आरईईटी परीक्षा, 2021 का उक्त लीक हुआ पेपर आरईईटी परीक्षा, 2021 के प्रश्न पत्र को लीक करने में शामिल अन्य आरोपी व्यक्तियों से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, राजू राम इरम ने लीक हुए पेपर को अन्य सहयोगियों को विभिन्न उम्मीदवारों को आगे वितरण के लिए दिया था। इसके अलावा, राजूराम इरम ने अपने सहयोगियों की मदद से जोधपुर में विभिन्न उम्मीदवारों को मोटी रकम के बदले लीक हुआ पेपर दिखाने और पढ़ने की व्यवस्था की।

इस मामले में, ईडी ने पहले 05.06.2023, 20.06.2023, 07.08.2023, 17.10.2023 और 26.10.2023 को आरोपी व्यक्तियों के कुल 32 परिसरों की तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए और भारी नकदी की जब्ती हुई। ईडी ने इससे पहले प्रदीप पाराशर और उनके सहायक रामकृपाल मीना को गिरफ्तार किया था। राम कृपाल मीना के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।